न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 140/2015 (126/2020) उनवान राजेन्द्र बनाम कालू ::

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल
2. गोविन्द नारायण पुत्र लादूराम
3. भंवरी पत्नी स्व. घीसालाल
4. ओमप्रकाश पुत्र स्व. घीसालाल
5. कमलेश पुत्र स्व. घीसालाल
6. श्रीमति कंचन देवी पत्नी गोविन्दनारायण

सर्व जाति छीपा सर्व निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू पुत्र भैंरू
2. नारायण पुत्र रामदेव
3. लादू पुत्र रामदेव
4. छोटू पुत्र रामदेव
5. छीतर पुत्र रामदेव
6. बनवारी पुत्र रामलाल
7. कमल पुत्र रामलाल
8. रामकुमार पुत्र रामलाल
9. सुगना पुत्र रामलाल
10. नोसर पुत्र रामचन्द्र

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम माण्डियावरकलां तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

11. रामचन्द्र पुत्र नाथू
12. सोचन्द पुत्र नाथू
13. गोरधन पुत्र नाथू
14. रतना पुत्र नाथू

सर्व जाति बागरिया निवासीगण ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

15. छोगा पुत्र हरदेव
16. मु. लाली पत्नी हीरा
17. भंवरलाल पुत्र हीरा
18. मदनलाल पुत्र हीरा
19. रतनलाल पुत्र हीरा
20. मोहनलाल पुत्र हीरा

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

1.रामप्रसाद पुत्र हीरा
22.शिवजीराम पुत्र हीरा
23.रामधन पुत्र बख्ता
24.रोडा पुत्र बख्ता
25.लाला पुत्र बख्ता
26.मु. गलकू पुत्र बख्ता
27.रामकरण पुत्र लादू
28.रिध्दकरण पुत्र लादू

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम मा. कला ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज0।

29.नन्दा पुत्र सोचन्दा
30.घीसी देवी पत्नी बसराम
31.रामसहाय पुत्र बसराम
32.मनीराम पुत्र बसराम
33.देशराज पुत्र बसराम
34.कौशल्या पुत्री बसराम
35.सुण्डा पुत्र धन्ना (अबेट)
36.नारायण पुत्र धन्ना
37.प्रधान पुत्र नारायण
38.रूकमा पत्नी मिश्रीलाल
39.शान्ति पत्नी रूपाराम

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम मा. कला ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज0।

40.रामकरण पुत्र लादू
41.गलकू पत्नी बगता
42.रोडा पुत्र बगता
43.लाला पुत्र बगता
44.लाली पत्नी हीरा
45.भंवरलाल पुत्र हीरा
46.मदनलाल पुत्र हीरा
47.रतनलाल पुत्र हीरा
48.मोहनलाल पुत्र हीरा
49.रामप्रसाद पुत्र हीरा
50.शिवजीराम पुत्र हीरा
51.रामनिवास पुत्र बद्री
52.घनश्याम पुत्र बद्री
53.सूरज देवी पत्नी दामोदर
54.सूजा पुत्र फूला (अबेट)

सर्व जाति भांभी सर्व निवासी ग्राम मा. कलां ढसूक।

55.चन्दा पुत्र गोरधन
56.घमला पत्नी रामधन

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

जाति जाट निवासी ग्राम मा. कला ढसूक
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 15.12.2015 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 140/2015 पर दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण उपखण्ड अरांई में प्राप्त होने पर 126/2020 पर दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त, खातेदारी व आधिपत्य की भूमि ग्राम माण्डियावार कला, पटवार हल्का पाण्डरवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 188/1 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, 188/2 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, खसरा संख्या 184/1 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 184/2 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072) है, जो कि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिसके चारों दिशाओं में अप्रार्थीगणों की भूमि है जिस पर नक्शा ट्रेस में काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 57 एवं परिवारजन प्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थीगणों की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण कृषि कार्य कर रहें है अप्रार्थीगण उक्त भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं तथा प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है।
2. प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम ग्राम माण्डियावार कला, पटवार हल्का पाण्डरवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 188/1 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, 188/2 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, खसरा संख्या 184/1 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 184/2 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072) हैक्टेयर का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।
3. दिनांक 18.10.2019 पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 से 34, 36 से 53 व 55 से 57 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 35 व 54 तामिल कुनिन्दा की रिपोर्टअनुसार फौत हो चुके इसीलिये वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.05.2024 को आदेशिका पर अंकन किया गया कि वे अप्रार्थी संख्या 35 व 54 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहतें है इनके विरूद्ध अनुतोष अबेट किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

प्रार्थी संख्या 01 से 34, 36 से 53 व 55 से 57 बावजूद विधिवत तामिल होने कारण अनुपस्थित रहे इसीलिये दिनांक 09.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 34, 36 से 53 व 55 से 57 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 09.05.2024 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी को सुना गया तथा प्रकरण में पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थीगण वादअधीन आराजी के संयुक्त खातेदार है तथा उक्त आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी आराजी संख्या ग्राम माण्डियावार कला, पटवार हल्का पाण्डरवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 188/1 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, 188/2 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, खसरा संख्या 184/1 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 184/2 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072) को स्वीकार किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

वकील प्रार्थी की बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय आदेश देती हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं कृषि आराजी ग्राम माण्डियावार कला, पटवार हल्का पाण्डरवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 188/1 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, 188/2 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, खसरा संख्या 184/1 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 184/2 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072) भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1500/—रु अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस जमा करवाने पर वाद ग्रस्त भूमि ग्राम ग्राम माण्डियावार कला, पटवार हल्का पाण्डरवाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 188/1 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, 188/2 रकबा 13 बीघा 08 बीस्वा, खसरा संख्या 184/1 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 184/2 रकबा 12 बीघा 13 बीस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072) का वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उभयपक्षकारान को नोटिस जारी कर उक्त आराजी का नाप चौक कर पत्थरगढी करें। आदेश मेरे द्वारा लिखवाये जाकर आज दिनांक 09/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)